

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर (राज०)


संशोधित रिमाण्ड ड्यूटी आदेश

क्रमांक: 69

दिनांक:-18.10.2024

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 63 दिनांक 30.09.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 26.10.2024 व 27.10.2024 के राजकीय अवकाश के दिन बीना सुवालिका जेएम-2 भरतपुर(स्थानान्तरण होने पर) के स्थान पर श्रीमती सीमा हुड्डा एसीजेएम डीग (मोबाइल नंबर 9785413053) को भरतपुर जिले की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्यों की सुनवाई हेतु उक्त पीठासीन अधिकारी को अधिकृत किया जाता है शेष पूर्व आदेश यथावत रहेगा:-

| क्र०स० | नाम अधिकारी एवं पदनाम            | दिनांक                                                   | मोबाइल नंबर |
|--------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|
| 1.     | श्रीमती सीमा हुड्डा, एसीजेएम डीग | 26.10.2024 चतुर्थ शनिवार<br>27.10.2024 रविवारीय<br>अवकाश | 9785413053  |


  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भरतपुर

क्रमांक: 2932-53

दिनांक:-18.10.2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु(जरिए मेल)-

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भरतपुर
2. पुलिस अधीक्षक, जिला भरतपुर/डीग को वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
3. समस्त न्यायिक/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भरतपुर न्याय क्षेत्र
4. सहायक निदेशक अभियोजन, भरतपुर
5. अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, भरतपुर/नगर/बयाना/डीग/कुम्हेर/नदबई/  
भुसावर/वैर/कामा/उच्चैन/रूपवास/सीकरी
6. सिटी कन्ट्रोल, भरतपुर/अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह भरतपुर
7. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय भरतपुर (मैसेज हेतु)
8. प्रोटोकॉल कम प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय भरतपुर
9. कार्यालय नोटिस बोर्ड
- 10.आदेश/संबंधित पत्रावली

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
भरतपुर

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर (राज0)

क्रमांक: 70

दिनांक:-18.10.2024

आदेश

मैं चेतन कुमार गोयल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भरतपुर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 12 एवं 13(2) बीएनएसएस (14 एवं15(2) द0प्र0स0) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करता हूँ कि कॉलम संख्या-3 में अंकित अवकाशों के दिन भरतपुर जिले की सीमा में उत्पन्न होने वाले आवश्यक फौजदारी मुकदमात में जमानत, रिमाण्ड, मृत्युकालीन कथन व अन्य आवश्यक फौजदारी कार्यों की सुनवाई हेतु कॉलम संख्या 2 में अंकित पीठासीन अधिकारी को अधिकृत किया जाता है:-

| क्र.सं | नाम अधिकारी एवं पदनाम                        | दिनांक                                                             | मोबाइल नं0 |
|--------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.     | श्रीमती हिमानी चतुर्वेदी, एसीजेएम-1<br>बयाना | 30.10.2024<br>31.10.2024<br>01.11.2024<br>02.11.2024<br>03.11.2024 | 9672012555 |

नोट-

- उक्त रिमाण्ड ड्यूटी प्रत्येक राजपत्रित अवकाश की तिथि के पूर्व कार्य दिवस के कार्यालय समय पश्चात से राजपत्रित अवकाश के अग्रिम कार्य दिवस के कार्यालय समय पूर्व तक रहेगी।
- तारांकित अवकाश के परिवर्तित होने की स्थिति में ड्यूटी परिवर्तित अवकाश के लिए मान्य होगी।
- किसी भी अवकाश के **अविलम्ब पूर्व अथवा पश्चात** के कार्य दिवस का किसी भी कारण से अवकाश घोषित होने की स्थिति में पूर्व अवकाश के दिन जिस अधिकारी की रिमाण्ड आदि सभी कार्यों की ड्यूटी थी, घोषित अवकाश के दिन वही अधिकारी पूर्वादेश की निरंतरता में रिमाण्ड आदि सभी कार्यों हेतु अधिकृत होगा।
- यदि किसी मुख्यालय पर सम्बन्धित न्यायिक अधिकारी उपलब्ध हों तो वे उक्त रिमाण्ड आदि का कार्य अपने संबंधित थाने के संबंध में स्वयं घर से संपादित करेंगे।
- सुविधा की दृष्टि से उक्त पीठासीन अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्य हेतु विशेष रूप से **01:00 पी0एम0 से 03:00 पी0एम0 तक** अपने न्यायालय में **आवश्यक स्टाफ** के साथ उपस्थित रहेंगे।
- नियत किये गए दिवस को यदि किसी आकस्मिक घटना या अपरिहार्य कारणों से अधिकृत अधिकारी ड्यूटी करने में असमर्थ है तो वे किसी अन्य न्यायिक अधिकारी से लिखित सहमति प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे तथा इस कार्यालय द्वारा संशोधित आदेश पारित होने के पश्चात् ही नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर मुख्यालय परित्याग करेंगे।

— Sd —  
(चेतन कुमार गोयल)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
भरतपुर

क्रमांक: 2955-76

दिनांक:-18.10.2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (जरिए मेल)-

- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, भरतपुर
- पुलिस अधीक्षक, जिला भरतपुर/डीग को वारंते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
- समस्त न्यायिक/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भरतपुर न्याय क्षेत्र
- सहायक निदेशक अभियोजन, भरतपुर
- अध्यक्ष, बार एसोसिएशन, भरतपुर/नगर/बयाना/डीग/कुम्हेर/नदबई/  
भुसावर/वैर/कामां/उच्चैन/रूपवास/सीकरी